अधिसूचना सं0 50/2014-सीमाशुल्क (एन.टी.)   नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा0का0नि0....(अ)-   केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यात्री सामान नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

1.   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री सामान (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2.   यात्री सामान नियम, 1998 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है), परिशिष्ट क में, -

(अ) स्तंभ (1) के खंड (क) के सामने, मद (ii) में, स्तंभ (2) के नीचे, “` 35,000” प्रतीक और अंकों के स्थान पर, “` 45,000” प्रतीक और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) स्तंभ (1) के खंड (ख) और खंड (ग) के सामने मद (ii) में, स्तंम (2) के नीचे, “` 15,000” प्रतीक और अंकों के स्थान पर, क्रमशः “` 17,500” प्रतीक और अंक रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के उपाबंध I में, मद 3 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

“3. 100 से अधिक सिगरेट या 25 से अधिक सिगार या 125 ग्राम से अधिक तंबाकू ।” ।

[फा.सं0 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना सं. 30/98 - सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 2 जून, 1998 [सा.का.नि.

सं.296 (अ) तारीख 2 जून, 1998] द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 84/2013 - सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 19 अगस्त, 2013 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 560(अ) तारीख 19 अगस्त, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।